(87)

निगरानी-6512/2018/अलीराजपुर/भू.रा.

<u>निगरानी प्र.क. ........... / निग. / 2018–19.</u>

श्री वी. एस. परस्तोडिया अधि. द्वारा इन्दौर कैम्प पर दिनांक 18-12-18 को प्रस्तुत।

18-12-18

Noted Adv. 19-12-18

<u>प्रस्तुत दिनांक 18 दिसम्बर, 2018.</u>

## <u>समक्ष–माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर</u>

1. दिनेश पिता स्व. वेस्ता, भीलाला, –निगरानीकर्ता.
2. कदम पिता स्व. वेस्ता, भीलाला,
3. भंगड़ी बेवा स्व. वेस्ता, भीलाला, व्यवसाय–कृषि,
सभी निवासी ग्राम बोरझाड़, तह. जोबट,
जिला–अलीराजपुर (म.प्र.).

विरूद्ध

1. कमलाबाई पिता स्व. वेस्ता भीलाला, –अनावेदक..
पति जालमसिंह पिता गमीर भीलाला, व्यवसाय–कृषि,
निवासी ग्राम बोरझाड़, तह. जोबट,
जिला–अलीराजपुर (म.प्र.).

*( म.प्र. भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50(1)(दो)(तीन) के अंतगर्त निगरानी )*

*<u>मान्यवर महोदय,</u>*

(1) *<u>निगरानीकर्तागण की ओर से सविनय निवेदन है कि –</u>*

*<u>01.</u> यह कि, मान. अपर आयुक्त महोदया, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष विचाराधीन द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 0751/अपील/2017–18 में संहिता की <u>धारा 52 के अंतगर्त पारित आदेश दिनांक 17–09–2018</u> एवं उक्त आलोच्य आदेश के संहिता की धारा 51 के अंतगर्त <u>पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05–12–2018 पर पारित आदेश दिनांक 10–12–2018</u> से असंतुष्ट होने से संहिता की धारा 50 के अंतगर्त सदर निगरानी आवेदन माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।*

Adv.

<u>(प्रदर्श पी. 01 एवं 02)</u>

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6512/2018/अलीराजपुर/भूरा

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26-12-18 | आवेदक अधिवक्ता श्री बी0एस0परसेडिया द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17-9-18 एवं 10-12-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने अंतरिम आदेश से स्थगन निरस्त किया गया है एवं अपने स्थगन निरस्ती उपरांत रिव्यु आवेदन निरस्त किया गया, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि स्थगन देना अथवा नहीं दिया प्रकरण की परिस्थिति एवं पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है । अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित अंतरिम आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।<br><br>अध्यक्ष | |